

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 09, सोमवार, शके 1948- मार्च 30, 2026 Chaitra 09, Monday, Saka 1948- March 30, 2026	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 30, 2026

जी.एस.आर.148 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची-II का संशोधन.- राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 से संलग्न अनुसूची-II में शीर्ष **ग्रुप क-सामान्य**, के अधीन,-

(i) क्रम संख्याक 1 के सामने स्तम्भ संख्याक 6 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अनुदेशक/ सहायक विकास अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अनुदेशक/सहायक विकास अधिकारी/वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) क्रम संख्याक 2 के सामने स्तम्भ संख्याक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अनुदेशक/सहायक विकास अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अनुदेशक/ सहायक विकास अधिकारी/वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं. एफ. 1(1) डीओपी/क- II/1996 पार्ट]

राज्यपाल के नाम और आदेश से,

डॉ. मुकुट बिहारी जांगिड़,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL**(A-Gr.-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, March 30, 2026

G.S.R.148 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Rural Development and Panchayati Raj State and Subordinate Service Rules, 1998, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Rural Development and Panchayati Raj State and Subordinate Service (Amendment) Rules, 2026.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule-II.- In Schedule-II, under the heading **Group A -General** appended to the Rajasthan Rural Development and Panchayati Raj State and Subordinate Service Rules, 1998,-

- (i) in column number 6 against serial number 1, for the existing expression "Instructor/Assistant Vikas Adhikari", the expression " Instructor/Assistant Vikas Adhikari/ Varishth Gram Vikas Adhikari" shall be substituted; and
- (ii) in column number 2 against serial number 2, for the existing expression "Instructor/Assistant Vikas Adhikari", the expression " Instructor/Assistant Vikas Adhikari/ Varishth Gram Vikas Adhikari " shall be substituted.

[No.F.1(1)DOP/A-II/1996 pt.]

**By order and in the name of the Governor,
DR. MUKUT BIHARI JANGID,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.**

Government Central Press, Jaipur.